



भारत स्काउट्स एवं गाइड्स

राष्ट्रीय मुख्यालय

पता: लक्ष्मी मजूमदार भवन, 16, महात्मा गाँधी मार्ग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

वेबसाइट: www.bsgindia.org ईमेल आईडी: info@bsgindia.org दूरभाष: +91-11-23370126, 23378667

प्रति,

समस्त राज्य सचिव

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राज्य संघ

भारतीय संघ



परिपत्र संख्या : 11/2021

दिनांक : 05 फरवरी, 2021



विषय :- राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के सम्पर्क विवरण की आवश्यकता।

महोदय/महोदया,

आपको यह सूचित करना है कि वर्ष 2021 भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की राष्ट्रीय परिषद का चुनावी वर्ष है जिसमें सम्बन्धित राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा अधिकृत इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के पद हेतु निर्वाचन में भाग लिया जाएगा। राष्ट्रीय परिषद की बैठक नवम्बर 2021 के अन्तिम सप्ताह के दौरान होने की संभावना है।

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के नए नियमों के नियम संख्या-7 के अनुसार निम्नलिखित पदेन सदस्य हैं जो प्रत्येक राज्य संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे:

नियम संख्या (7.19)– राज्य मुख्य आयुक्त

नियम संख्या (7.20)– राज्य आयुक्त (स्काउट)

नियम संख्या (7.21)– राज्य आयुक्त (गाइड)

नियम संख्या (7.22)– राज्य सचिव

नियम संख्या (7.23)– राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट)

नियम संख्या (7.24)– राज्य संगठन आयुक्त (गाइड)

नियम संख्या (7.25)– राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)

नियम संख्या (7.26)– राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)

राज्य संघों से अनुरोध है कि कृपया हमें संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम एवं सम्पर्क विवरण प्रदान करने की कृपा करें। इसकी एक्सेल शीट सॉफ्ट कापी info@bsgindia.org पर ईमेल द्वारा और राष्ट्रीय मुख्यालय रिकार्ड एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु हार्ड कापी डाक द्वारा **28 फरवरी, 2021** तक राष्ट्रीय मुख्यालय को भेजी जानी सुनिश्चित करें।

सधन्यवाद।

भवदीय,

(राज कुमार कौशिक)
निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. समस्त राष्ट्रीय मुख्यालय पदाधिकारी, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, राष्ट्रीय मुख्यालय।
2. अध्यक्ष/सचिव, रेल्वे स्काउट एवं गाइड बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016।
4. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, इंस्टीट्यूशनल एरिया, बी-15, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201309।
5. समस्त जिला सचिव, दम्भाम, रियाद, मस्कट एवं जमीयत यूथक्लब को आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन के साथ।